कु०प्रा/निर्गत/ 22.9.17

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.17 को विभाग एवं बिहार राज्य जल पर्षद की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेश दिए गए :

1. बिहार राज्य जल पर्षद को AMRUT योजनान्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं पर हुए व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.17 तक विभाग में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. मुख्य अभियंता, BRJP को हाजीपुर एवं अन्य जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत लंबित डिजाईन की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 21.09.2017 तक Distribution Pipe Line बिछाने का कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

3. बिहार राज्य जल पर्षद को AMRUT योजना के अन्तर्गत सभी Ongoing Water Supply Scheme का कार्य दिनांक 25.09.2017 तक प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

4. योजना के कार्यान्वयन हेतु Work programme के अनुसार कार्य में प्रगति नहीं होने पर संवेदक के साथ किये गए एकरारनामा की शर्तों के अनुसार दण्ड निर्धारित करने का निदेश बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया।

5. बैठक के दौरान यह बात प्रकाश में आयीं कि Distribution Pipe की एकमुश्त सप्लाई ले ली गई है, लेकिन अभी तक Survey का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। इस बात को लेकर प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं निदेशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार प्रावधान किया जाय कि संवेदक द्वारा इस मद में कराये गये कार्य से 25% से अधिक की आपूर्ति नहीं ली जाय।

6. AMRUT योजनान्तर्गत जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निविदा का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया।

7. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु BRJP को विमुक्त किये जाने वाले राशि को योजनावार न कर सभी योजनाओं के लिए SAAP Wise एकमुस्त विमुक्त करने का निदेश प्रशाखा–03 को दिया गया।

8. बिहार राज्य जल पर्षद के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना के कार्यान्वयन का गहण अनुश्रवण किया जाय ताकि योजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जा सके। Pipe Line Laying का Daily Basis पर Progress Report समर्पित करने का निदेश भी दिया गया।

9. बिहार राज्य जल पर्षद् को निदेश दिया गया कि AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत वैसी जलापूर्ति योजना जिनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार नहीं किया गया है, उन योजनाओं का DPR तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

10. बिहार राज्य जल पर्षद् को निदेश दिया गया कि राज्य योजनान्तर्गत संचालित जलापूर्ति योजना में Household Connection का कार्य राज्य योजना के जलापूर्ति योजना हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार ही किया जाय। Household Connection की गति अत्यंत धीमी है। इसमें गति लाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/9/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक 03/AMRUT-03-06/2017 2203 / पटना, दिनांक 22/9/17

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, BRJP/विशेष सचिव/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता/नोडल पदाधिकारी, (AMRUT)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

प्रधान सचिव